

प्रेस- नोट थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर दिनांक 28.05.2022

चोरी की बोलेरो के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दक्षिणी के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी खजनी के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष सिकरीगंज के नेतृत्व में आज दिनांक 28.05.2022 को मुखबीर खास की सूचना पर उ0नि0 रविप्रकाश यादव मय हमराह का0 अखिलेश यादव, का0 दिनेश शाह, का0 केशव विन्द व का0 अमित कुमार पासवान के रवाना शुदा रो0 आम तारिखी इमरोजा से मु0अ0सं0 94/2022 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित वाहन बोलेरो वाहन सं0 UP58S1372 व अभियुक्त बदरुद्दीन अली उर्फ भोलिया पुत्र निजामूद्दीन निवासी डेरा पलहीपार बाबू थाना खजनी जनपद गोरखपुर मय वाहन के साथ समय 12.35 बजे महादेवा बाजार सब्जी मंडी के पहले पेट्रोल पंप के पास से अंतर्गत धारा 379,411 भादवि में गिरफ्तार किया गया तथा नियमानुसार मौके पर फर्द बरामदगी की कार्यवाही कर अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का स्थान व समय –

महादेवा बाजार सब्जी मंडी के पहले पेट्रोल पंप के पास- दिनांक 28.05.2022 समय 12.35 बजे

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता–

बदरुद्दीन अली उर्फ भोलिया पुत्र निजामूद्दीन निवासी डेरा पलहीपार बाबू थाना खजनी जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0- 94/2022 धारा 379,411 IPC थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर।

बरामदगी-

एक बोलेरो वाहन संख्या UP58S1372 सम्बन्धित मु0अ0सं0 94 /2022 धारा 379,411 भादवि

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम का विवरण-

- 01- उ0नि0 श्री रविप्रकाश यादव थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
- 02- का0 अखिलेश यादव - थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
- 03- का0 दिनेश शाह- थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
- 04- का0 केशव बिन्द- थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
- 05- का0 अमित कुमार पासवान- थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर